

राज्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

191

-:आदेश:-

दि. 18/3/19

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~गणिकाजाव~~ व भूअ.नि. ~~मिनापत~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~मिनापत~~ नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्व राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~गणिकाजाव~~ तहसील ~~मिनापत~~ जिला ~~कोलायत~~ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-75 में खाता संख्या 57 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गणिकाजाव	57	$\frac{359}{185} = 1.946$	(1) $\frac{423}{185} = 2.43$ (2) $\frac{424}{185} = 2.29$ मिना 2 9.46

()
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कोलायत जिला-बीकानेर

दिनांक :-

1. तहसीलदार (रा.) कोलायत को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर प्रालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
 3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कोलायत जिला-बीकानेर